कार्यालय जिलाधिकारी आजमगढ़।

संख्या 1923A/देशी शराब/2018–19/आजमगढ़ दिनांक– 30 मार्च, 2018

विज्ञप्ति

वर्ष 2018–19 के लिए व्यवस्थापन हेतु अवशेष देशी शराब दुकान सहदेवगंज, कौरागहनी एवं कबूतरा एवं देशी शराब दुकान दुलारगंज के आवंटी द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस निर्धारित अवधि में जमा न करने के कारण आंवटन निरस्त करने के पश्चात उक्त दुकानों का दैनिक आधार पर संचालन दिनांक 01–04–2018 से 14–04–2018 (कुल 14 दिवसों) तक सर्वोच्च ऑफर के आधार पर किया जाना है। ऑफरदाता को दिये गये ऑफर के साथ 14 दिनों के ऑफर की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट/नगद बन्द लिफाफे में दिया जाना अनिवार्य होगा। ऑफरदाता अपने आधार कार्ड एवं पैनकार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करे। दो या दो से अधिक समान ऑफर पाये जाने पर अनुज्ञापी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। दैनिक आधार पर व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	दुकान का नाम	वार्षिक एम0जी0क्यू0	एक दिन का एम0जी0क्यू0	14 दिन का एम0जी0क्यू0	14 दिन का बेसिक लाइसेंस फीस
1	सहदेवगंज	35640	97.64	1367	38276
2	कौरागहनी	21516	58.95	825	23108
3	कबूतरा	15588	42.71	598	16741
4	दुलारगंज	30324	83.08	1163	32567

व्यवस्थापन का कार्यक्रम निम्नवत् है:–

1.	दैनिक आधार पर आफर	दिनांक 01–04–2018 को 11.00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में ऑफर दिया जा सकता है
2.	दैनिक आधार पर अनुज्ञापी का चयन	दिनांक 01–04–2018 को 12.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में

उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।

30/3/2018

(सुदर्शन सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
आजमगढ़।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
आजमगढ़

संख्या: 1924-28A/देशी शराब/व्यवस्थापन/आजमगढ़ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् प्रेषित–

1– उप आबकारी आयुक्त, आजमगढ़ प्रभार, आजमगढ़।

2– प्रधान सम्पादक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार–पत्र के अगले संस्करण में न्यूनतम सम्भव स्थान पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियो में जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ से दर एवं साईज प्रमाणित कर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

3– नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड में चस्पा एवं व्यवस्था हेतु।

30/3/2018

(सुदर्शन सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
आजमगढ़।